I/पुनर्विलोकन/शिवपुरी/भू-रा/2017/2588

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नाविलोकन प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–शिवपुरी

हरनाम पुत्र श्री अतर सिंह लोधी
निवासी– ग्राम टकटकी तहसील करैरा जिला शिवपुरी (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन

...... अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1674-I/2005 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15.10.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुर्नाविलोकन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार करैरा के समक्ष ग्राम टकटकी में स्थिति शासकीय भूमि सर्वे नं. 418 रकवा 2.14 है0 में से 1.00 है0 व्यवस्थापन करने की मांग की गयी थी। नायब तहसीलदार करैरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/91–92/अ–19 पंजीबद्व कर आदेश दिनांक 25.11.1991 से बादग्रस्त भूमि का आवेदक के नाम व्यवस्थापन किये जाने का आदेश पारित किया।

2– यहकि, व्यवस्थापन प्रकरण का परीक्षण करने पर अनियमितताये पाये जाने पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 261/1996–97 पंजीबद्व कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। बाद में स्वमेव निगरानी के अधिकार कलेक्टर शिवपुरी को होने से प्रकरण अंतरित किया गया। तत्पश्चात् कलेक्टर शिवपुरी द्वारा स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 170/1997–98 पंजीबद्व कर आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही आदेश दिनांक 27.04.1998 से आवेदक के हित में किया गया। व्यवस्थापन आदेश दिनांक 25.11.1991 निरस्त कर दिया गया।

3– यहकि, कलेक्टर जिला शिवपुरी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 176/2000–01 प्रस्तुत की गयी। जो पारित आदेश दिनांक 06.04.2005 से निरस्त कर दी गयी।

4– यहकि, अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रकरण क्रमांक 1674/एक/2005 माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जो माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यो एवं अधीनस्थ न्यायालयो के अभिलेखो का विधिवत् अवलोकन किये बिना ही पारित आदेश दिनांक 15.10.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्र.क. 2588–एक / 2017 पुनरावलोकन

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
6-2-19	यह पुनरावलोकन आवेदन तत्का. सदस्य, म0प्र0 राजस्व ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 1674–एक / 2005 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 15–10–2013 के विरूद्व म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर में दिनॉक 9.8.2017 को अर्थात आदेश पारित होने के लगभग 03 वर्ष 10 माह वाद प्रस्तुत किया गया है। 2/ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 यथा सॅशोधन प्रभावी दिनांक 25–9–2918 के अनुसार धारा 51 (चार) इस प्रकार है :– धारा 51 (चार) – किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन, जो निजी व्यक्तियों के बीच अधिकार संबंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता हो, कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जाएगा अन्यथा नहीं और ऐसे आदेश के पुर्नविलोकन के लिये कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उस आदेश के पारित किये जाने के पैतालीश दिन के भीतर न किया गया हो। आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन दिया गया है किन्तु उसके समर्थन में शपथ पत्र नहीं दिया है वैसे भी अवधि विधान की धारा के आवेदन में दिया गया विवरण समाधान–कारक नहीं है। पुनरावलोकन आवेदन संहिता की धारा 51 के उक्तानुसार प्रावधानों के अनुरूप न पाये जाने से अमान्य किया जाता है। सदस्य	